

सार्वजनिक सूचना

छावनी परिषद, रुड़की के समस्त पट्टा धारकों/लीज धारकों जिन्हे पूर्व में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा कैन्ट कोड 1899, कैन्ट कोड 1912 व छावनी भूमि प्रशासन नियमावली (सी.एल.ए.आर) 1925 व 1937 के प्रावधानों के अनुसार सम्पत्तियां लीज पर दी गयी हैं तथा जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या जिन सम्पत्तियों की लीज अवधि निकट भविष्य में समाप्त होने वाली है के सम्बन्ध में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने नयी पॉलिसी (Policy) अपने पत्र संख्या 11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 10.03.2017 के द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है जिसके माध्यम से यह निर्णय लिया है कि ऐसे सभी लीज/पट्टे जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या जिनकी लीज अवधि निकट भविष्य में दिनांक— 31.12.2018 से पहले समाप्त होने वाली हो ऐसी सभी लीज/पट्टे की अवधि दिनांक— 31.12.2018 तक सशर्त बढ़ा दी जायेगी। लीज/पट्टे के नवीनीकरण एवं इनसे सम्बन्धित समस्त जानकारियों का विवरण कार्यालय, छावनी परिषद, रुड़की के नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है तथा कैन्ट बोर्ड, रुड़की की वेबसाइट www.cbroorkee.org.in पर देखी जा सकती है।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद रुड़की